

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मण्डला,
जिला-मण्डला (म.प्र.)

कमांक/सहा.आयु./निर्माण/2016/ 7113

मण्डला, दिनांक -28/07/2016

//आदेश//

म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक/एफ10-49/2015/25/2/358 भोपाल, दिनांक 02.03.2016 एवं आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक/245/2016/110 भोपाल, दिनांक 19.05.2016 एवं आयुक्त, आदिवासी विकास का पत्र कमांक/शि.स्था/शि.शा./2ख/198/2001/15134 भोपाल, दिनांक 03.08.2001 के द्वारा भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से मध्य प्रदेश शासन द्वारा मण्डला जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अचली, मण्डला को विशेष दर्जा दिया जाकर समिति के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

एकलव्य आदर्श आवासीय उ.मा. विद्यालय, अचली, मण्डला, जिला मण्डला के संचालन व नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जाता है :-

1 कलेक्टर मण्डला	अध्यक्ष
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला	सदस्य
3 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मण्डला	सदस्य
4 जिला शिक्षा अधिकारी मण्डला	सदस्य
5 अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. मण्डला	सदस्य
6 कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मण्डला	सदस्य
7 जिला स्तर पर राजीव गांधी शिक्षा मिशन मण्डला के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
8 नवोदय विद्यालय पदमी/केन्द्रीय विद्यालय मण्डला के प्राचार्य	सदस्य
9 प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अचली, मण्डला	सदस्य सचिव

उक्त समिति के निम्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे :-

1. संस्था के भवन के निर्माण की व्यवस्था एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का नियंत्रण।
2. संस्था का संचालन।
3. संस्था के संचालन हेतु आवश्यक उपाय।
4. संस्था में प्रवेश की व्यवस्था।
5. संस्था के संचालन हेतु प्राप्त राशि का सही उपयोग।

कलेक्टर,
मण्डला

पृ.कमांक/सहा.आयु./निर्माण/2016/ 7114

मण्डला, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मण्डला, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मण्डला, जिला शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान मण्डला, प्राचार्य नवोदय विद्यालय पदमी मण्डला की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अचली, मण्डला, जिला मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
मण्डला

अध्याय क्रमांक 2
(संशोधन विभाग)
मध्य प्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 6125/98

यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश अध्याय क्रमांक 2 (संशोधन विभाग) के अधीन
आश्रम सफुकेयनका इंस्टीट्यूट गोपाला घटी भोपाल
समिति जो गोपाला तहसील भोपाल जिले

जिला गोपाला में स्थित है, मध्य प्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44
9-7-98
के अधीन को पंजीयित की गई है।

दिनांक दो साह शुभाश्विनी सन् 1998



(शरद लज्जा तिवारी)
समितियों के रजिस्ट्रार

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
अबली मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)